

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-माध्य/मा/स/22423/2001-02

दिनांक: 21 जनवरी, 2015

आदेश

1. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक:प.19(45) शिक्षा-6/97 दिनांक 22.04.99 द्वारा समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पंजीकृत वर्तमान में "विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति" (SDMC) का गठन किया गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक व अध्यापकों में से संस्था प्रधान द्वारा अध्यापकों में से मनोनीत एक सदस्य सदस्य सचिव के रूप में नीमित है।

गठित समिति के नियमावली बिन्दु संख्या 16 के द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन बाबत प्रावधान है।

2. इसी क्रम में राज्य के समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहां कक्षा 1 से 8 अथवा कक्षा 6 से 8 संचालित है में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के प्रावधानानुसार प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा जरिये आदेश क्रमांक: F.21(19)Edu-I/E.E./2009 दिनांक 10.05.2011 "विद्यालय प्रबन्धन समिति" (SMC) के गठन बाबत आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन समिति की साधारण सभा द्वारा माता-पिता या संरक्षक सदस्यों में से निर्वाचित 11 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति में से किया जायेगा।

समिति के सदस्य सचिव संबंधित विद्यालय का संस्था प्रधान तथा संस्था प्रधान के न होने पर वरिष्ठतम अध्यापक होगा।

गठित समिति के दिशा निर्देश बिन्दु संख्या 14 में अध्यक्ष के कार्य के संबंध में विवरण निम्न प्रकार अंकित है:-

नियम 14-1(6):-आय व्यय पर नियन्त्रण रखना, केशियर के माध्यम से लेखे संधारित करना।

3. शासन द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु राजकीय प्राथमिक/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समावेशन कर सम्मन्वित विद्यालय बनाकर एक ही संस्था प्रधान प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण के अधीन रखे गये हैं। बिन्दु संख्या 1 व 2 के अनुसार राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्नानुसार समितियों का गठन है:-

(क) कक्षा 1 से 8 के लिए "विद्यालय प्रबन्धन समिति" (SMC) एवं

(ख) कक्षा 9 से 10 एवं कक्षा 9 से 12 के लिए "विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति" (SDMC)

4. विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) में कक्षा 1 से 8 में मिड-डे-मील, सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित विभिन्न मदों की राशि तथा विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति में कक्षा 9 से 10 एवं कक्षा 9 से 12 के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर से विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राप्त राशि अन्तरित की जाती है।
5. दिनांक 17 जनवरी 2015 को शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा यह बिन्दु ध्यान में लाया गया कि "जिन विद्यालयों में संस्था प्रधान का पद रिक्त है तथा उन विद्यालयों के आहरण-वितरण के अधिकारी किसी अन्य विद्यालय के राजपत्रित यथा-संस्था प्रधान/व्याख्याता-स्कूल शिक्षा को दिये हुए हैं तो वे राजकीय कोष कार्यालय संबंधी आहरण-वितरण के कार्य कर रहे हैं लेकिन SMC और SDMC छात्र निधि कोष एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की राशि का आहरण वितरण संबंधी कार्य नहीं कर रहे हैं।

उक्त के संबंध में विभाग स्तर पर निर्णय लिया गया है कि समान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 03(क) के अनुरूप अधिकृत किसी अन्य विद्यालय के राजपत्रित यथा-संस्था प्रधान/व्याख्याता-स्कूल शिक्षा द्वारा ही SMC और SDMC छात्र निधि कोष एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की राशि का आहरण वितरण करने के लिए अधिकृत होंगे।

(सुवालाल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. अतिरिक्त परियोजना आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
5. अतिरिक्त आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु
8. समस्त उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा
10. वरिष्ठ सम्पादक "शिविरा", कार्यालय हाजा को शिविरा के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ
11. रक्षित पत्रावली

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कमांक:शिविरा-माध्य/मा/स/22423/2001-02

दिनांक:-27.02.2015

:: आदेश ::

निदेशालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.1.15 के द्वारा समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) तथा कक्षा 1-8 तक की कक्षाओं हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) के गठन के आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों के अनुसार विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा कक्षा 1-8 तक की कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान तथा मिड-डे मील की राशि की प्राप्ति व व्यय का लेखा-जोखा पृथक से संचारित किया जायेगा। विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन पूर्व आदेशानुसार ही होगा।

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9-12 के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने, विद्यालय भवन के विकास करने सम्बन्धी कार्य विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति(SDMC) द्वारा किये जायेंगे, साथ ही RMSA से प्राप्त अनुदान, विकास शुल्क एवं अन्य प्राप्त होने वाली राशियों का लेनदेन/लेखा जोखा इस समिति द्वारा संचारित किया जायेगा। विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति(SDMC) तथा अन्य उप समितियों के गठन हेतु संरचना एवं इनके दायित्व निम्न प्रकार है-

(अ) School Development and Management Committee (SDMC) की संरचना

(RMSA गाइडलाइन के अनुसार School Management and Development Committee)

1.	प्राचार्य/प्रधानाध्यापक	अध्यक्ष
2	अभिभावकों में से एससी/एसटी समुदाय का एक व्यक्ति	सदस्य
3	अभिभावकों में से एक महिला	सदस्य
4	अभिभावकों में से एक व्यक्ति	सदस्य
5	सामाजिक विज्ञान का एक अध्यापक	1 सदस्य
6.	विज्ञान का एक अध्यापक	1 सदस्य
7	गणित का एक अध्यापक	1 सदस्य
8	पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय के सदस्य	2 सदस्य
9	(ऑडिट व वित्त विभाग का एक व्यक्ति) (संस्था का लेखा कार्मिक)*	1 सदस्य
10	शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति	1 सदस्य
11	महिला समूहों का सदस्य	1 सदस्य
12	ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य/शिक्षा विद्व	1 सदस्य
13	विज्ञान, मानविकी एवं कला/संस्कृति/क्राफ्ट की पृष्ठभूमि वाले (जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत व्यक्ति)	3 सदस्य
14	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी	1 सदस्य
15	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (वरिष्ठतम व्याख्याता, उमावि में/वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक-मावि में)	सदस्य सचिव

* विद्यालय द्वारा नोन रेकरिंग मद में खरीद करने पर बीईईओ/डीपीसी कार्यालय के लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार को सदस्य रूप में मनोनीत किया जावे।

SDMC के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे—

- (1) विद्यालय की "विद्यालय सुधार योजना" तैयार करना।
- (2) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य प्राप्त करना:—
 - (i) कक्षा 9-10 का सकल नामांकन दर सत्र 2017 तक **90%** तक लाना।
 - (ii) कक्षा 11 एवं 12 की सकल नामांकन दर सत्र 2017 तक **65%** तक लाना।
 - (iii) माध्यमिक स्तर की ड्रॉप आउट दर **25%** से नीचे लाना।
 - (iv) विद्यार्थियों में जीवन कौशल का विकास, विद्यालय में आईसीटी का उपयोग, समुदाय की सहभागिता आदि सुनिश्चित करना।
- (3) समिति द्वारा आरएमएसए के खाते में प्राप्त राशि का रिकार्ड संधारण करना।
- (4) समिति अपने कोष का उपयोग रेकरिंग एवं नॉन रेकरिंग मदों में कर सकेगी।
- (5) समिति भारत सरकार के वित्तीय मैनुअल के अनुसार व्यय कर सकेगी।
- (6) समिति द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के लिये सभी गतिविधियों की योजना बनाना, यू-डाइस का डेटा एकत्रित करना, योजना की क्रियान्विति एवं मॉनिटरिंग आदि का कार्य करेगी।
- (7) विद्यालय स्तर पर निर्माण संबंधी कार्य, तथा शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु संबंधित सभी कार्य करेगी।
- (8) कमेटी की प्रत्येक मीटिंग में नियमित रूप से वित्तीय लेखों का अनुमोदन कराया जायेगा।
- (9) समिति सभी गतिविधियों की प्रगति की सूचना नियमित रूप से ब्लॉक व जिले के अधिकारियों को प्रेषित करेगी।
- (10) समिति की पाक्षिक बैठक रखी जायेगी।
- (11) समिति की मीटिंग हेतु प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को लिखित में सूचित किया जावेगा।
- (12) बैंक खाते से लेनदेन समिति के अध्यक्ष व सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जायेंगे। किसी भी स्थिति में एकल हस्ताक्षर से बैंक से लेनदेन नहीं किया जायेगा।

नोट:—राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के एसएमसी का राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय, (प्रारम्भिक शिक्षा अनुभाग) के नाम से पुर्नगठन कर बैंक में विद्यालय का नाम संशोधित कराया जायेगा। SMC के कार्य एवं दायित्व पूर्वानुसार ही होंगे।

3

(ब) विद्यालय भवन उप समिति(School Building Commitee) की सरंचना

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | प्राचार्य/प्रधानाध्यापक | — अध्यक्ष |
| 2. | पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय के प्रतिनिधि | — 1 सदस्य |
| 3. | अभिभावक | — 1 सदस्य |
| 4. | निर्माण कार्य से जुड़े अनुभवी व्यक्ति(JEN,RMSA/SSA) | — 1 सदस्य |
| 5. | (लेखा/ऑडिट शाखा का व्यक्ति) (संस्था का लेखा कार्मिक)* | — 1 सदस्य |
| 6. | प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक
(वरिष्ठतम व्याख्याता, उमावि में/वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक—मावि में) | —सदस्य सचिव |

* विद्यालय द्वारा नोन रेकरिंग मद में खरीद करने पर बीईईओ/डीपीसी कार्यालय के लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जावे।

भवन उप समिति के कार्य:-भवन निर्माण एवं मेजर रिपेयर हेतु योजना बनाना, उनके प्रबन्ध संचालन, मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग, लेखों का संधारण, लेखों की मासिक रिपोर्ट बनाना आदि कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होगी जिसकी रिपोर्ट एसडीएमसी को नियमित रूप से की जायेगी।

यह समिति निर्माण कार्यों को वित्तीय नियमानुसार अनुबंध पर करा सकेगी अथवा स्वयं करा सकेगी।

(स) शैक्षिक उप समिति(School Academic Commitee) की सरंचना

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | प्राचार्य/प्रधानाध्यापक | — अध्यक्ष |
| 2. | अभिभावक | — 1 सदस्य |
| 3. | निम्न में से प्रत्येक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ—
(1)विज्ञान या गणित, (2)मानविकी, (3)कला/संस्कृति/क्राफ्ट/खेलकूद
आदि प्रत्येक क्षेत्र का विशेषज्ञ | — 3 सदस्य |
| 4. | प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा चयनित विद्यार्थी | — 1 सदस्य |
| 5. | प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक
(वरिष्ठतम व्याख्याता, उमावि में/वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक—मावि में) | —सदस्य सचिव |

शैक्षिक उप समिति के कार्य:-

- (i) शैक्षिक गतिविधियों की कार्ययोजना निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन
- (ii) शैक्षिक गतिविधियों की मूल्यांकन रिपोर्ट्स की समीक्षा एवं सुझावों को परीक्षण पश्चात आगामी कार्ययोजना में सम्मिलित कराने हेतु अनुशंसा।
- (iii) शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु समयबद्ध कार्ययोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन

3

- (iv) शैक्षिक समकों का विश्लेषण एवं निम्न उपलब्धि के क्षेत्रों में संबलन हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत करना।
- (v) मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट्स की समीक्षा एवं फॉलोअप कार्यवाही हेतु सुझाव

वर्णित आदेश राज्य सरकार के पत्र क्रमांक:प. 17(4) शिक्षा-1/2014 जयपुर दिनांक 26.02.2015 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


(सुवालाल)
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि:निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है--

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. अतिरिक्त आयुक्त, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
5. अतिरिक्त आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)
10. वरिष्ठ सम्पादक-शिविरा, कार्यालय हाजा को शिविरा के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ
11. रक्षित पत्रावली


उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर